

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

एफ 23(80)लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2018-19/ 392

दिनांक— 13.7.18

विधवा / परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना

माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा की अनुपालना में “विधवा / परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना” निम्नानुसार जारी की जाती है :-

1. योजना का उद्देश्य — इस योजना का यह उद्देश्य है कि राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाली विधवा / परित्यक्ता महिलाओं द्वारा इस पाठ्यक्रम हेतु देय फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाकर इन्हें संबल प्रदान किया जाये।
2. योजना का प्रारम्भ — यह योजना संशोधन उपरान्त शैक्षणिक सत्र 2015-16 से लागू होगी।
3. योजना हेतु पात्रता — योजना का लाभ उन विधवा एंव परित्यक्ता बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों को ही प्राप्त होगा जिन्होंने—
 1. वर्ष 2017-18 एंव 2018-19 में राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो। लेकिन जिन विधवा एंव परित्यक्ता महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया / बी.एड की योग्यता अर्जित कर ली है। वे महिलाएँ इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होंगी।
 2. आवेदन के साथ विधवा प्रशिक्षणार्थी होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (स्व-प्रमाणित प्रति) एंव परित्यक्ता छात्राध्यापिका की स्थिति में सक्षम न्यायालय / काजी द्वारा जारी तलाकनामें की प्रमाणित प्रति / डिक्री आवश्यक रूप से संलग्न की जावें। समझौता आधार पर दिये गये तलाक मान्य नहीं होंगें। सक्षम काजी के द्वारा दिये गये तलाकनामें के साथ सामाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित नोटेरी द्वारा प्रमाणित तलाक को प्रमाणित करने के प्रमाण पत्र संलग्न किये जावें।
 3. दोनों ही प्रकार के प्रकरणों में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावें, जिसमें निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है :—
(अ) छात्राध्यापिका का नाम, (ब) विधवा / तलाकशुदा होने की स्थिति में पति का नाम, (स) स्वयं के एंव पति (दोनों) के अलावा पिता का नाम भी साथ में उल्लेख किया जावे, (द) विधवा होने की स्थिति, पति के निधन की तिथि, (य) परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय / अधिकृत काजी द्वारा जारी / तलाकनामें डिक्री की तिथि भी अंकित करें, (र) दोनों ही स्थिति में पुनर्विवाह नहीं किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया जावें।

राजकीय एवं निजी बी.एड महाविद्यालयों हेतु दिशा-निर्देश

- पात्र विधवा/परित्यक्ता छात्राध्यापिकाओं के ऑलनाईन आवेदन पत्र भरने में उनकी हर संभव मदद की जावें।
- आवेदक छात्राध्यापिका की संबंधित महाविद्यालय में 75 प्रतिशत उपस्थिति होनी आनिवार्य है। साथ ही यदि आवेदन पश्चात् किसी छात्राध्यापिका द्वारा महाविद्यालय छोड़ दिया है तो इसकी सूचना अविलम्ब आयुक्तालय को प्रेषित की जावें। अन्यथा होने वाली कार्यवाही के लिए संबंधित संस्था प्रधान जिमेदार होंगे।
- जिन छात्राध्यापिकाओं को अन्य छात्रवृति/आर्थिक सहायता मिल रही हो, उन्हें इस योजना के तहत छात्रवृति देय नहीं होगी।
- आवेदन की प्रक्रिया** – इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सत्र 2017–18 एवं 2018–19 में राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो पात्र है। वर्ष 2017–18 में प्रथम वर्ष एवं 2018–19 में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विधवा/परित्यक्ता दो वर्षों के लिए पात्र है। उक्त विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन करना होगा, जो कि संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा संलग्न दस्तावेज एवं सूचनाओं को अभिप्राणित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी को ऑनलाईन (Forward) किया जायेगा। इसी प्रकार बी.एड. पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष) एवं आगामी वर्षों में योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा यथा समय प्रसारित विज्ञप्ति अनुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिला नोडल अधिकारी द्वारा वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रमाण पत्रों/दस्तावजों की जांच एवं अभिप्राणित करने के उपरान्त अपनी अनुशंसा के साथ आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को ऑनलाईन निर्धारित तिथि तक (Forward) किया जायेगा।

- नोट:-**
- जिन विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया बी.एड की योग्यता अर्जित कर ली है वे महिलाएँ इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी।
 - ऑनलाईन आवेदन पत्र दिशा-निर्देश भली-भाँति पूर्व पढ़कर भरे। किसी भी प्रकार की कमी से आवेदन निरस्त होता है तो छात्राध्यापिका स्वयं उत्तरदायी होंगी।
 - अध्ययनरत शिक्षण महाविद्यालय से जिला नोडल अधिकारी को ऑनलाईन फारवर्ड कराने का उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय/छात्राध्यापिका का होगा।

13/

(आशुतोष ए.टी.पेडणेकर)

आशुक्त

कॉलेज शिक्षा एवं शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर